# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—288/2013/223 (2013/00003)**

1. हिम्मतसिंह पुत्र बृजराजसिंह, जाति राजपूत, निवासी गांव देवलिया कंला तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।

**अपीलांट**

**बनाम**

1. मु0 संतोष बेवा घनश्याम,
2. मानसिंह पुत्र घनश्याम
   दोनों जाति दरोगा, नि0 देवलिया कंला, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।
3. जसोदा पुत्री घनश्याम पत्नि राजेन्द्रसिंह, जाति दरोगा, नि0 हिगोंनिया, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती निरमा पुत्री घनश्याम पत्नि हेमराज, जाति दरोगा, सदापुर, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंट**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय, दिनांक 30.11.2012 अंतर्गत वाद संख्या 93/2007 एवं 35/2010.**

**उपस्थितः—**

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी वकील अपीलांट ।
2. श्री जमनालाल शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 5.

## निर्णय

**दिनांकः—16.4.2019**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत मौजा देवलिया कंला, तह0 भिनाय स्थित आराजी खसरा संख्या 3330, 3331, 3334, 3339, 3340, 3341, 3342, 3344, 3345, 3367 कुल किता 10 कुल रकबा 8.36 है0 बाबत् पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजियात उसने खातेदार देवीसिंह से दिनांक 30.5.1970 को जरिये

पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किया है । संवत् 2028 के सेटलमेंट के बाद अजमेर जिले में कोई जमाबंदी नहीं बनी । इसके बाद संवत् 2041 में जो जमाबंदी बनी उसमें विवादित आराजियात प्रतिवादीगण के खाते में लगा दी गई । वादी द्वारा खरीदशुदा उक्त आराजियात के नामांतकरण हेतु सक्षम अधिकारी एवं कर्मचारियों से अनेक बार निवेदन किया गया किन्तु विवादित भूमियां अपीलांट के नाम दर्ज नहीं की गई जबकि विवादित भूमियों पर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है । अतः वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2012 को वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि आराजी मुतनाजा वादी/अपीलांट ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.5.1970 को रिकार्डेड खातेदार देवीसिंह से क्रय किया है वे देवीसिंह की भूमि को सेटलमेंट विभाग ने बिना सक्षम अधिकारिता के वादी/अपीलांट के नाम दर्ज न कर प्रतिवादी संख्या 1 घनश्याम के नाम दर्ज कर दिया जबकि घनश्याम न तो आराजी मुतनाजा का क्रेता है एवं न ही उसे कोई सीलिंग अवाप्त भूमि का कभी आवंटन हुआ है । बरवक्त दावा दायरी विवादित आराजियात घनश्याम के खातेदारी में दर्ज थी घनश्या म ने वादी के वाद का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने विवादित आराजिया को सीलिंग में अवाप्त होना मानकर वाद निरस्त करने में त्रुटि की है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमियों पर कब्जा काश्त अपीलांट का ही चला आ रहा है जिसका खण्डन प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया है । वादी/अपीलांट का वाद संपूर्ण दस्तावजी साक्ष्यों से साबित था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने केवल मात्र राज्य सरकार के जवाबदावे के आधार पर वाद को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अपीलांट विवादित आराजियात का सद्भाविक क्रेता होकर काबिज काश्त है किन्तु राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्र की पालना में नाम दर्ज नहीं किये जाने तथा बिना किसी सक्षम अधिकारिता के रेस्पो0 के नाम दर्ज किये जाने एवं सीलिंग में अवाप्त भूमि मानते हुए वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट का वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 में वाद में बहस होने के उपरांत अधिवक्ता ने निर्णय की जानकारी अपीलांट को देने हेतु आश्वस्त किया था किन्तु अधिवक्ता द्वारा निर्णय की जानकारी नहीं दी गई जिससे अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 3.4.2013 को तब हुई जब प्रार्थी अपने प्रकरण की जानकारी करने अपने अधिक्ता से संपर्क किया । तत्पश्चात् अपीलांट ने निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर, कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 में देवीसिंह वल्द विजयसिंह राजपूत के नाम दर्ज है तथा खसरा नंबर 3222 रकबा 35–5–0, खसरा नंबर 3310 रकबा 8–3–0 एवं खसरा नंबर 3227 रकबा 4 बीघा, 3240 रकबा 12–8–10, 3229 रकबा 10–18–0 सलिंग प्रकरण के तहत दिनांक 27.5.1976 की पालना में अवाप्त किये जाने के बाद आवंटित किया जाकर दर्ज किया जाना प्रतीत होता है । पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.5.1970 के अनुसार देवीसिंह पुत्र विजयसिंह द्वारा वादी हिम्मतसिंह के पक्ष में खसरा नंबर 692 रकबा 4–15–0, 702 रकबा 4–9–10, 730 रकबा 3–10–0, 2378 रकबा 0–13–10, 2281 रकबा 2–9–10, 2382 रकबा 1–2–0, 2384 रकबा 2–9–10, 2387 रकबा 1–15–0, 3310 रकबा 8–3–00, 3217 रकबा 8–15–0, 3219 रकबा 6–1–10, 3221 रकबा 17–15–00, 3222 रकबा 35–5–00, 3324 रकबा 3–4–0, 3227 रकबा 4–0–0, 322 रकबा 10–18–0, 3229 रकबा 4–0–0, 3230 रकबा 8–5–10, 3231 रकबा 35–5–0, 3235 रकबा 11–12–10, 3236 रकबा 22–15–0 विक्रय किया जाना प्रतीत होता है परन्तु सीलिंग प्रकरण के अंतिम निर्णय में अपील संख्या 9/2007, 10/2007 दिनाक 1.4.2009 के अनुसार भूमियां अधिग्रहण किया जाना प्रतीत होता है परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा मात्र बयानों के संबंध में वादी हिम्मतसिंह पुत्र बृजराजसिंह का शपथ पत्र एवं भवानी सिंह पुत्र नारायणसिंह, एवं रमेश पुत्र लादू के शपथ पत्र लिये जाने अभिलेख पर स्पष्ट है परन्तु इन पर प्रतिपक्ष द्वारा जिरह नहीं की गई एवं न ही दस्तावेजों को प्रमाणित व सिद्ध कर प्रदर्शित करवाया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा बिना प्रदर्शित एवं बिना सिद्ध किये दस्तावेजों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो विधिसंगत नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने बिना प्रमाणित हुए विक्रय पत्र दिनांक 30.5.1970 पर वादी को क्या अधिकार उत्पन्न हुए एवं दिनांक 30.5.1970 का विक्रय पत्र विधिक तौर पर प्रभावी विक्रय पत्र था अथवा नहीं एवं प्रकरण संख्या 9/2007 एवं 10/2007 दिनांक 1.4.2009 के परिप्रेक्ष्य में विक्रय पत्र के तहत वादी को कोई अधिकार उत्पन्न हुए अथवा नहीं एवं प्रतिवादी घनश्याम का नाम वक्त दावा दायरी अभिलेख में किस प्रकार दर्ज किया गया बिना दस्तावेजों के प्रदर्श कराये एवं प्रमाणीकरण के आदेश पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, भिनाय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2012 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के क्रम में उभयपक्ष

को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

10. निर्णय आज दिनांक 16.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**